आदेश

रीडर

21/4/25

वकील वादी उपस्थित हैं कि
आवास रिक्वाइर्ड गई अभिलेख
व वकालतनामा कोर्ट में नहीं
है। वाद पत्र अदालत शुल्क की
रकम पेश्तर में एकमुश्त जमा
नहीं है। वमा की अदायगी हेतु
तीन माह समय दिया जाता है।